न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम) अलवर

अपील संख्या	प्रवेश तिथि	निर्णय दिनांक
12/56/2018	11-05-2018	08-08-2018

01– रामखिलाड़ी पुत्र नन्दा जाति मीना निवासी ग्राम नैंथला तहसील मालाखेड़ा, जिला अलवर राज०
02– छोटेलाल पुत्र नन्दा मीना जाति मीना निवासी ग्राम नैंथला तहसील मालाखेड़ा, जिला अलवर राज0

अपीलाण्ट

बनाम

01– तहसीलदार, मालाखेड़ा, जिला अलवर

रेस्पौडेन्ट

अपील विरूद्ध निर्णय तहसीलदार मालाखेड़ा
दिनांक 23..01.2017 अन्तर्गत धारा 91 भू0
राजस्व अधिनियम प्रकरण संख्या 35/2016

उपस्थितः–

01–श्री गोविन्द राम यादव

–वकील अपीलाण्ट

–:निर्णयः–

अपीलान्ट ने यह अपील तहसीलदार मालाखेड़ा के आदेश दिनांक 23.01.2017 जिसके द्वारा अपीलान्ट को ग्राम नैंथला की सरकारी चारागाह बारानी–2 के आराजी खसरा नम्बर 845, 847, 848 रकबा 1.72 में से 0.89 है०, पर अवैध कब्जा करने पर की गई सजा व पैनल्टी से व्यथित होकर की गई है। अपील अपीलान्ट दर्ज रजिस्टर कर रेस्पौ0 को जर्ये सम्मन तलब किया गया। एवं अधीनस्थ अदालत का रिकार्ड तलब किया गया।

विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट ने अपील में अंकित तथ्यों को बहस के दौरान दोहराते हुये निवेदन किया कि ग्राम नैंथला की सरकारी चारागाह बारानी–2 के आराजी खसरा नम्बर 845, 847, 848 रकबा 1.72 में से 0.89 है० पर अवैध कब्जा करने की रिपोर्ट दिनांक 09.11.2016 को पटवारी द्वारा करने पर अपीलांट को अतिक्रमी मानकर बिना सुने 50 गुना लगान से दण्डित किया। अपीलांट को पश्चातवर्ति अतिकमी माना है जबकि पूर्व में अपीलांट को कभी बेदखल नहीं किया गया ना किसी प्रकार की पैनल्टी से आरोपित किया गया। उक्त आराजियात पर प्रार्थीगण का पुराना कब्जा चला आ रहा है, जिस बाबत् एक वाद सहायक जिलाधीश अलवर के यहां प्रस्तुत कर रखा है। तहसीलदार मालाखेड़ा द्वारा अपीलान्ट को बिना सुने ही निर्णय पारित किया गया है। अतः अपीलार्थी की अपील को स्वीकार फरमाई जाकर आराजी खसरा नम्बर 845, 847, 848 रकबा 1.72 में से 0.89 है0 रकबा अपीलान्टस के नाम से रैग्यूलाईज किया जाने की सिफारिश की जावें।

हमनें अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन किया। उपलब्ध रिकॉर्ड एवं पटवारी हल्का रिपोर्ट से अपीलार्थी का खसरा नम्बर 845 रकबा 0.93 में से 0.10, 847 रकबा 0.43 मे से 0.43 पर पश्चातवर्ति अतिकमण साबित होना है क्योंकि अपीलार्थी द्वारा उक्त खसरा नम्बरान पर पक्का अतिक्रमण कर रखा है। अपीलार्थी द्वारा कब्जा छोडने कोई शपथ पत्र भी प्रस्तुत नही किया गया है। तहसीलदार मालाखेड़ा ने निर्णय दिनांक 23.01.2017 में भी अतिकमी को बेदखल कर अतिक्रमण हटवाने के निर्देश दिये गये। न्यायालय हाजा में विचाराधीन एक अन्य पत्रावली में इस अपीलार्थी द्वारा खसरा नम्बर 848 रकबा 0.36 पर अतिक्रमण हटा लिया है।

अतः अपील अपीलान्ट खसरा नम्बर 848 रकबा 0.36 को छोडकर खारिज की जाती है। तहसीलदार मालाखेडा को निर्देशित किया जाता है की अतिक्रमी को खसरा नम्बर 845 व 847 से बेदखल कर अतिक्रमण हटवाया जाए

निर्णय की प्रति अधीनस्थ न्यायालय को उनके रिकार्ड के साथ भिजवाई जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम की जावें। पत्रावली बाद तकमील दाखिल दफतर की जावें।

निर्णय आज दिनांक 08-08-2018 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया

(ओ0पी0जैन)
अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम)
अलवर (राजस्थान)

COURT OF THE ADDITIONAL COLLECTOR (I) न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम) अलवर (राज0) ALWAR (RAJ.)